न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या वाद पत्र -46/2024

अनवान

श्रीमति गुलाव देवी पत्नी लेखराज मीना, जाति मीना, उम्र 30 वर्श, निवासी पीजी 43 आरपीएस कॉलोनी, पानी की टंकी के पास, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. घीसा पुत्र नारायण धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. उंकार पुत्र नारायण धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर अभिभाषक वादी
श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 18.03.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया के संयुक्त खाते काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम प्रतापपुरा, पटवार हल्का तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 137 की खसरा संख्या 543, 546 कुल किता 02, कुल रकबा 0.9200 हैक्टर कृषि आराजीयात जो खाते में वादीया गुलाब देवी के 167/168 तथा सहखातेदार सुगनाबाई के 1/168 के खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमीन के सहखातेदार सुगनाबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीया उक्त जमीन पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। दिनांक 15.06.2024 को वादीया अपनी उपरोक्त वर्णित खाते की कृषि आराजीयात पर गई तो वहां जाकर देखा कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा वादीया की वर्णित खाते की कृशि आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने पर अमादा है तथा प्रतिवादीगण जमीन की हंकाई-जुताई करने पर अमादा हो रहे थे, तब वादीया द्वारा ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादीया के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने पर उतारू हो गए, तथा कहने लगे कि हमने कब्जा कर लिया तो कर लिया तुम्हें जो करना है कर लेना, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तथा मुझ वादीया के साथ गाली गलौच कर मुझे मेरी जमीन से बाहर निकाल दिया इस प्रकार प्रतिवादीगण मुझ वादी की कृषि आराजीयात पर कब्जा करने की नियत से मुझ वादीया की कृषि आराजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है इसलिए यह वादपत्र बेदखली का न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। पूर्व में मुझ वादीया ने उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा के यहां आवेदन किया था जिस पर तहसीलदार साहब रावतभाटा के आदेशानुसार उक्त जमीन की पत्थरगढ़ी आदेश की पालना की गई, जिसमें पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट में भी यह अंकन है कि प्रतिवादीगण घीसा, उंकार पिता नारायण धाकड़ निवासी प्रतापपुरा का कब्जा पाया गया। अंत में वादीया द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम मौजा प्रतापपुरा, पटवार हल्का तम्बोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 137 की खसरा संख्या 543, 546 कुल किता 02 [illegible] 0.9200 हैक्टर स्थित वादीया के खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 [illegible] दखल कर कब्जा मुझ वादीया को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान कर तहसीलदार डिक्री जारी फरमाई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत कर जवाब दावा इस प्रकार है कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 01 का जवाब है कि वादीया एवं सहखातेदार सुगना बाई के खाते की जमीन है जिसमें वादीया द्वारा स्वयं ने सुगना बाई की मृत्यु होना स्वीकार किया है, सुगना बाई को वादीया द्वारा न तो वादी बनाया गया न ही प्रतिवादी बनाया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

दोनो के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए पक्षकारों का कुसंयोजन होने के कारण वादीया का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें। कॉलम संख्या 02 का जवाब है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उनके खाते की जमीन आराजी संख्या 540 पर कदीवी समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पास वादी के खाते की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्यास 01 व 2 को परेशान करने की नियत से झूठा वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है, जिसे प्रथमदृष्टिया की अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें। कॉलम संख्या 03 अस्वीकार होकर जवाब है कि दिनांक 15.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व वादीया के मध्य कोई वाद विवाद या बातचीत नही हुई है, वादीया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 की आराजी के बीच मे आराजी संख्या 543 व 540 के मध्य कच्चे पत्थरों की दिवार विगत 40 वर्षो से बनी हुई है इसलिए वाद कारण के अभाव में वादीया का वाद पत्र अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें। कॉलम संख्या 4,5 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अंत में प्रतिवादीगण वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब दावा स्वीकार कर तथा वादीया का वाद पत्र अस्वीकार कर वाद पत्र को खारीज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार सरकार को हस्तगत प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होने से पेरोकार सरकार का द्वारा प्रकरण मे जवाब की आवश्यकता नहीं बताते हुए जवाब बंद कराने का निवेदन किया गया। प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होने से जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया।

वादी ने वादपत्र के कथन की पुष्टि मे दस्तावेजी सबूत के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह पी. डब्ल्यू. 01 पेश कर बयान कराए तथा दस्तावेजी सबूत में ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का तम्बोलिया की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 137 की खसरा संख्या 543, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9200है0 की नकल प्रदर्श -1 व पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट तहसीलदार रावतभाटा की पेश की जो प्रदर्श-2 है तथा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए प्रतिवादी के साक्ष्य न्यायालय द्वारा बंद किये गये। प्रकरण में वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर 3 वाद बिन्दु कायम किये गये।

हमने वाद पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीगण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम प्रतापपुरा में स्थित होकर वादीया की खातेदारी में दर्ज है उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था। अतः वादीया का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने कि वह वादीगण के उक्त खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें। तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य मनगढन्त व झूठे हैं। विवादित आराजीयात वादीया एवं उसकी सहखातेदार सुगना बाई के खाते की जमीन है जिसमें वादीया द्वारा स्वयं ने सुगना बाई की मृत्यु होना स्वीकार किया है, सुगना बाई को वादीया द्वारा न तो वादी बनाया गया न ही प्रतिवादी बनाया गया है दोनो के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए पक्षकारों का कुसंयोजन होने के कारण वादीया का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उनके खाते की जमीन आराजी संख्या 540 पर कदीवी समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 की आराजी के बीच में आराजी संख्या 543 व 540 के मध्य कच्चे पत्थरों की दिवार विगत 40 वर्षो से बनी हुई है इसलिए वाद कारण के अभाव में वादीया का वाद पत्र अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद बिन्दू निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:46 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नंबर -1

आया वाद पत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि [illegible] ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 137 खसरा संख्या [illegible] 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.92है0 भूमि वादीया के खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर कब्जे काश्त की जमीन है जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने पर आमदा है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीया ने जवाब दावे के कथन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह करा पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का प्रदर्श कराए। दस्तावेजी सबुत में ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 तम्बोलिया की आराजी संख्या 543, 546 की पेश की जिसमें वादीया के नाम सहखातदेरी हक से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जो कि प्रदर्श -1 है तथा प0ह0 द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार रावतभाटा को पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श-2 है। उक्त रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादीया की भूमि पर कब्जा बताया है। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर -2

आया वाद वादीया ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 137 खसरा संख्या 543, 546 रकबा 0.92है0 भूमि की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को बेदखल कराने की अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीया पर था। वादीया ने विवादित आराजीयात कें संबंध में जमाबंदी सम्वत 2076-79 ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 तम्बोलिया की आराजी संख्या 543, 546 की पेश की जिसमें वादीया के नाम सहखातदेरी हक से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जमाबंदी पेश की है जिसमें जो कि प्रदर्श-1 है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादीया खातेदार होकर प्रतिवादीगण से कब्जा अपनी भूमि का प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण साबित करा पाने में सफल रहने से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर -3

आया वाद प्रतिवादी आराजी संख्या 543 व 540 के मध्य कच्चे पत्थरों की दीवार विगत 40 वर्षो से बना कर काबिज है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के कथन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष -

वादीया अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में सफल रहने से वादी ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 137 की खसरा संख्या 543, 546 कुल किता 02, कुल रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि का कब्जा वादीया प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है।

-:आदेशः-

अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा-183 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रतापपुरा की आराजी नंबर 543, 546 कुल किता 02, कुल रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादीया को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे ना ही कब्जा करे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को सुनाया गया। [illegible] जारी की जावे तथा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:46 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चित्तौड़गढ़